भगवानसिंह विरूद्ध शम्भूसिंह

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निगरानी 1732--पीबीआर / 11 जिला – उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-1-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 165 / 09–10 / अपील में पारित आदेश दिनांक 2–9–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को निरस्त किया गया है । 2-- उभपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा एस.डी.ओ. द्वारा प्रकरण को प्रत्यावर्तित किए जाने के आदेश से संबंधित है । प्रकरण में अपर आयुक्त ने यह पाया है कि बटवारा फर्द पर केवल एक हस्ताक्षर हैं शेष सहखातेदारों की सहमति नहीं है, कब्जा और स्वत्व के विवाद के संबंध में कोई कथन नहीं लिए गए हैं । ऐसी स्थिति में उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार किया है । अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित है । प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश विधिसम्मत, उचित और न्यायिक होने से उसकी पुष्टि योग्य है । अतः उसे स्थिर रखा जाता है और यह पुनरीक्षण अस्वीकार किया जाता है । सदस्य	

निरन्तर..........2

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2011 निगरानी R-1732-PBR/2011

भगवानसिंह पिता शंभूसिंह, जाति राजपुत, निवासी–ग्राम बेड़ावन्या
तह. खाचरौद जिला उज्जैन ....आवेदक

विरूद्ध

1– शम्भुसिंह पिता भुवानसिंह राजपूत
2– भंवरसिह पिता भुवानसिंह राजपूत
3– बालुसिंह पिता भुवानसिंह राजपूत
4– रेशम कुंवर पत्नी भुवानसिह राजपूत
5– लाखनसिंह पिता वजेसिंह
6– खुशालसिंह पिता वजेसिंह
7– बनेसिंह अवयस्क द्वारा संरक्षक माता तेजकुंवर बाई
8– गट्टाकुंवर द्वारा संरक्षक माता तेजकुंवर
9– राधाकुंवर, द्वारा संरक्षाक माता तेजकुंवर
10 टीना कुंवर द्वारा संरक्षक माता तेजकुंवर
11– तेजकुंवर पति वजेसिंह
12– शिव कुंवर पति शंभूसिंह
समस्त निवासी ग्राम बेड़ावन्या, तहसीलदार खाचरोद
जिला उज्जैन.

..........अनावेदकगण

श्री दिनेश व्यास अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 21-11-11 को उज्जैन कैम्प पर प्रस्तुत।
21-11-11

21-11-11

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन के प्रकरण क्रं. 65/09–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 02/09/11 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने प्रकरण की वस्तुस्थिति को देखे व समझे बगैर उसके विपरित निष्कर्ष निकाल कर आदेश पारित करने मे महान वेधानिक त्रुटी की है।

03 यह कि आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने अपील आवेदन मे कई वेधानिक एवं तथात्मक कारणो का उल्लेख किया था किंतु अधिनस्थ न्यायालय ने उनको देखे व समझे बगैर आदेश पारित करने मे महान वैधानिक त्रुटी की है।

04. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह कल्पना पर आधारित होकर रेकार्ड के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा किसी

निरन्तर...........2